द्वितीय अपील प्रकरण क्रमांक ए/2034/2012

श्री दिनेन्द्र नाथ मुखर्जी, — **अपीलार्थी**
शीतला वार्ड, सत्तीपारा,
शासकीय स्कूल के पास,
अंबिकापुर, जिला सरगुजा (छ0ग0)

विरूद्ध

जनसूचना अधिकारी — **उत्तरवादी कं0 01**
मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला पंचायत सरगुजा (छ0ग0)

प्रथम अपीलीय अधिकारी, — **उत्तरवादी कं0 02**
अपर कलेक्टर,
कार्यालय कलेक्टर सरगुजा,
अंबिकापुर (छ0ग0)

—:: आदेश ::—
(पारित दिनांक : 29/09/2014)

यह द्वितीय अपील, अपीलार्थी श्री दिनेन्द्र नाथ मुखर्जी द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 (जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 19 के अंतर्गत उत्तरवादी कं0 01, जनसूचना अधिकारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत सरगुजा (छ0ग0) तथा उत्तरवादी कं0 02, प्रथम अपीलीय अधिकारी, अपर कलेक्टर, कार्यालय, कलेक्टर सरगुजा, अंबिकापुर (छ0ग0) के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

संक्षेप में प्रकरण यह है कि अपीलार्थी ने उत्तरवादी कं 01 जनसूचना अधिकारी के समक्ष अधिनियम के अंतर्गत सूचना प्राप्ति हेतु आवेदन दिनांक 30.07.12 के माध्यम से निम्नानुसार सूचना/जानकारी चाही थी :—

''राजेश कुमार सोनी आ0 स्व0 रामसुन्दर प्रसाद सोनी (शिक्षाकर्मी) निवासी मोहल्ला सत्तीपारा (शीतला वार्ड) अंबिकापुर सरगुजा (छ0ग0) के शिक्षाकर्मी पद पर पदस्थापना (नियुक्ति) से संबंधित समस्त दस्तावेज (अभ्यर्थियों का शिक्षा से संबंधित समस्त बोर्ड परीक्षाओं की अंक सूची, नियुक्ति पत्र, अन्य प्रमाण पत्र, शिक्षाकर्मी भर्ती की वरीयता सूची (मेरिट लिस्ट) वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा लिखित, मौखिक टेस्ट में प्रदान किये गये अंक तालिका, भर्ती से संबंधित विज्ञापन) एवं अभ्यर्थी का वर्तमान पदस्थापना स्थल से संबंधित दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतिलिपि''

उत्तरवादी कं0 01, जनसूचना अधिकारी ने पत्र दिनांक 17.8.12 द्वारा अर्थात् समयावधि में आवेदन पत्र निरस्त कर अपीलार्थी को निम्नानुसार सूचित कियाः—

''आपके द्वारा राजेश कुमार सोनी आ0 स्व0 रामसुन्दर प्रसाद सोनी (शिक्षाकर्मी) निवासी मोहल्ला सत्तीपारा (शीतला वार्ड) अंबिकापुर सरगुजा (छ0ग0) के शिक्षाकर्मी पद पर पदस्थापना (नियुक्ति) से संबंधित समस्त दस्तावेजों एवं पदस्थापना स्थल से संबंधित दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतिलिपि चाही गई है परंतु आपके द्वारा यह उल्लेख नहीं किया गया है कि संबंधित जिसके संबंध में जानकारी चाही गई है, किस वर्ग में कार्यरत हैं एवं किस विद्यालय में पदस्थ हैं। ऐसी स्थिति में संबंधित के संबंध में वांछित जानकारी उपलब्ध कराया जाना संभव नहीं है।''

अपीलार्थी ने द्वितीय अपील आवेदन में लिखा है कि उन्होंने पुनः एक आवेदन पत्र दिनांक 28.8.12 उत्तरवादी क्रं0 01 जनसूचना अधिकारी को प्रस्तुत किया था। परंतु उन्होंने इसके समर्थन में दिनांक 28.8.12 के पत्र की प्रतिलिपि संलग्न नहीं की है।

इससे क्षुब्ध होकर अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील प्रस्तुत की गई। जिसका कोई निराकरण नहीं किया गया। इसलिए यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई है। द्वितीय अपील में जानकारी निःशुल्क दिलाने, दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध जिसमें अपीलार्थी ने प्रथम अपीलीय अधिकारी को भी शामिल किया है, पर अधिनियम की धारा 20(1) के अंतर्गत 25,000/–शास्ति तथा 20(2) के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही करने की मांग की है।

दोनों पक्षों को सुना गया। अपीलार्थी ने लिखित तर्क भी प्रस्तुत किये हैं।

प्रकरण के अवलोकन से ज्ञात होता है कि सुनवाई के दौरान अपीलार्थी को सूचना/जानकारी उपलब्ध कराई गई है। जिसे अपीलार्थी ने प्राप्त करना स्वीकार किया है। जो सूचना उपलब्ध कराई गई है उसमें श्री राजेश कुमार सोनी की अंकसूची, नियुक्ति पत्र, तथा पदस्थापना आदेश (अर्थात् वर्तमान पदस्थापना की सूचना) अपीलार्थी को प्राप्त हो गई है। अपीलार्थी के अनुसार जो सूचना दी गई है वह अधूरी है क्योंकि वरीयता सूची (मेरिट लिस्ट), लिखित, मौखिक टेस्ट में प्रदान की गई अंक तालिका, भर्ती से संबंधित विज्ञापन की प्रतिलिपि नहीं दी गई हैं। इस संबंध में उत्तरवादी क्रं0 01 के प्रतिनिधि का पक्ष था कि वांछित सूचना जिला पंचायत के जनसूचना अधिकारी से मांगी गई थी एवं श्री राजेश कुमार सोनी की नियुक्ति जनपद पंचायत द्वारा की गई थी और बाद में पदोन्नति के बाद उनकी नियुक्ति जिला पंचायत द्वारा की गई थी। पदोन्नति के लिए कोई विज्ञापन जारी नहीं होता। मौखिक लिखित टेस्ट की अंकतालिका नहीं बनती और न ही कोई मेरिट लिस्ट बनती है। इसलिए इनसे संबंधित सूचना/जानकारी जिला पंचायत कार्यालय में उपलब्ध नहीं हैं इसलिए नहीं दी गई। अपीलार्थी का कथन है कि जिला पंचायत को जनपद पंचायत से प्राप्त कर उपलब्ध कराना था। इसके उत्तर में उत्तरवादी क्रं0 01 की ओर से कहा गया कि सूचना/जानकारी जिला पंचायत के जनसूचना अधिकारी से मांगी गई थी और जिला पंचायत में उपलब्ध जानकारी दे दी गई है।

इस विषय पर विचार के पूर्व कि पूर्ण जानकारी दी गई है या नहीं। अधिनियम की धारा 6(1)(b) का अवलोकन आवश्यक है जो निम्नानुसार है :–

" 6(1)(b).....the Central Assistant Public Information Officer or State Assistant Public Information Officer, as the case may be, specifying the particulars of the information sought by him or her"

उपरोक्त प्रावधान से स्पष्ट है कि सूचना मांगने के आवेदन में मांगी गई सूचना की विशिष्टियां (Particulars) विनिर्दिष्ट (Specify) की जानी चाहिए परंतु अपीलार्थी ने जो आवेदन दिया था उसमें केवल राजेश कुमार सोनी आ0 स्व0 रामसुन्दर सोनी (शिक्षाकर्मी) तथा पता लिखकर उनके संबंध में सूचना/जानकारी मांगी थी। शिक्षाकर्मी का वर्ग नहीं लिखा था। उल्लेखनीय है कि अलग–अलग वर्गो के शिक्षाकर्मी की नियुक्ति ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत द्वारा की जाती है इसलिए जब जिला पंचायत के जनसूचना अधिकारी से जानकारी मांगी गई तो उत्तरवादी क्रं0 01 ने जिला पंचायत से संबंधित उपलब्ध करा दी। आवेदन में कहीं नहीं लिखा था कि प्रथम नियुक्ति और पदोन्नति के बाद दोनों से संबंधित जानकारी चाहिए। इस प्रकार सूचना मांगने का आवेदन ही स्पष्ट नहीं था। इस प्रकार श्री सोनी की प्रथम नियुक्ति जो जिला पंचायत ने नहीं की थी उसके विज्ञापन, प्राप्त अंक आदि की जानकारी प्राप्त कर देने का या आवेदन धारा 6 के अंतर्गत अंतरित करने का सवाल ही नहीं था। वैसे भी जानकारी एकत्रित कर देना अधिनियम में अपेक्षित नहीं है। इसकी पुष्टि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के प्रकरण सिविल अपील नं. 6454/2011, एस.एल.पी.नं. 7526/2009 सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेण्ड्री एजुकेशन एवं अन्य विरूद्ध आदित्य बंदोपाध्याय एवं अन्य में पारित आदेश से भी होती है। जिसमें पाया गया है कि केवल रिकार्ड में उपलब्ध जानकारी देना ही अपेक्षित है। उसे एकत्रित COLLECT कर या COLLATE कर देना अपेक्षित नहीं है।

अतः यह पाया जाता है कि जिस प्रकार का आवेदन दिया गया था उसके अनुसार पर्याप्त सूचना/जानकारी उपलब्ध करा दी गई है।

उत्तरवादी क्रं0 01 ने अपीलार्थी का आवेदन इस आधार पर निरस्त कर दिया था कि आवेदन में उल्लेख नहीं है कि व्यक्ति जिसके संबंध में जानकारी चाही जा रही है वह किस वर्ग में कार्यरत है एवं किस विद्यालय में पदस्थ है। इस संबंध में अपीलार्थी के लिखित तर्क में कहा गया है कि ये सब जानकारी कार्यालय की थी क्योंकि संबंधित व्यक्ति का स्थानांतरण आदेश अगस्त 2006 में जारी किया गया था। यह भी लिखा है कि यदि विवरण ज्ञात नहीं होता तो बाद में कैसे जानकारी उपलब्ध करा दी गई। दोनों पक्षों को सुनने के दौरान यह बात सामने आई थी कि बाद में अपीलार्थी ने मौखिक रूप से शिक्षाकर्मी के वर्ग तथा पदस्थापना से संबंधित जानकारी दी थी उसके आधार पर उपलब्ध जानकारी प्रदान की गई है। स्थानांतरण की प्रक्रिया अलग है और सूचना देने की प्रक्रिया अलग है। इससे यह निष्कर्ष नहीं निकलता कि सूचना मांगने के आवेदन में विशिष्टियां न दर्शाई जाये और अस्पष्ट आवेदन दिया जाये। वैसे भी स्थानांतरण वर्ष 2006 में किया गया था और सूचना मांगने का आवेदन वर्ष 2012 में दिया गया है। दोनों के बीच लगभग 06 वर्ष का अंतर है। इतने वर्षों तक याद रखना कि जिस व्यक्ति की जानकारी चाही जा रही है वह वही व्यक्ति है जिसका स्थानांतरण किया गया था, अंसभव प्रतीत होता है। एक बार लिखित में आवेदन निरस्त करने के बाद वांछित जानकारी से संबंधित विवरण प्राप्त होता है और उसके आधार पर सूचना/जानकारी उपलब्ध कराई जाती है तो निश्चित रूप से यह सद्भाविक कार्यवाही है और इस सद्भाविक कार्यवाही के लिए जनसूचना

अधिकारी को दोषी मानना अन्याय होगा। यदि वे चाहते तो कोई जानकारी नहीं भी दे सकते थे।

अब प्रश्न यह है कि क्या उत्तरवादी क्रं0 01 सूचना मांगने के आवेदन में पर्याप्त विवरण न होने के कारण आवेदन निरस्त करना उचित था अथवा नहीं। जैसी ऊपर विवेचना की गई है उससे स्पष्ट है कि आवेदन में राजेश कुमार सोनी का पूर्ण विवरण जैसे शिक्षाकर्मी का वर्ग, पदस्थापना आदि विशिष्टियां नहीं दर्शाई गई थीं। एक जिले में हजारों अलग–अलग वर्ग के शिक्षाकर्मी होते हैं जो ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत द्वारा नियुक्त किये जाते हैं व जिले के विभिन्न ग्रामों की शालाओं में कार्य करते हैं। इसलिए यदि वर्ग और पदस्थापना नहीं दी गई तो यह ज्ञात करना निश्चित रूप से कठिन होगा कि जानकारी जिला पंचायत से संबंधित थी या किस जनपद पंचायत या ग्राम पंचायत से। वांछित सूचना/जानकारी किसी अन्य ग्राम पंचायत या जनपद पंचायत से संबंधित होती तो उन्हें अंतरित करनी होती। जनसूचना अधिकारी से यह अपेक्षा नहीं की जाती कि वह हजारों की सूची में ढूंढकर ज्ञात करे कि किसकी जानकारी चाही जा रही है। इसलिए शिक्षाकर्मी के वर्ग एवं पदस्थापना के स्थान का उल्लेख सूचना मांगने के आवेदन में आवश्यक था। अतः यह पाया जाता है कि सूचना/जानकारी मांगने का आवेदन अधिनियम की धारा 6(1)(b) के अनुरूप नहीं था। उसमें पर्याप्त विवरण (Particulars) नहीं दर्शाये गये थे। इसलिए उत्तरवादी क्रं0 01 का आवेदन निरस्त करने का विनिश्चय उचित था। यह अवश्य है कि प्रथम अपीलीय अधिकारी ने प्रथम अपील का निराकरण नहीं किया। परंतु अधिनियम की धारा 19 में प्रावधान है कि समयाविधि में प्रथम अपील का निराकरण न होने पर द्वितीय अपील की जा सकती है और अपीलार्थी ने द्वितीय अपील की भी है। प्रथम अपीलीय अधिकारी पर शास्ति/क्षतिपूर्ति `अधिरोपित करने का अधिकार आयोग को नहीं है।

उपरोक्त विवेचना के प्रकाश में यह द्वितीय अपील सारहीन होने के कारण अस्वीकार की जाती है।

आदेश तद्नुरूप। प्रकरण समाप्त कर नस्तीबद्ध किया जाता है।

सही/–
(जवाहर श्रीवास्तव)
राज्य सूचना आयुक्त